पीएम श्री स्कूल (PM Schools for Rising India)

केंद्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक 'पीएम श्री स्कूल' स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गयी है और ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे. इस योजना के अंतर्गत लगभग पन्द्रह हजार स्कूलों के खोले जाने की योजना है. वर्ष 2024 तक देश के हर ब्लॉक में कम से कम एक पीएम श्री स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है. प्रत्येक विकासखंड में एक एलीमेंट्री एवं एक सेकन्डरी स्कूल को इस योजना के अंतर्गत चयनित करते हुए सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा.

पीएम श्री स्कूल की विशेषताएं:

- शुरुआती चरण में ये स्कूल पिछड़े इलाकों एवं जिलों में खोले जाएंगे
- इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी सिफारिशें लागू की जाएगी
- इन स्कूलों में पढने वाले बच्चों को स्किल डेव्हलपमेंट में पारंगत किए जाएंगे
- इन स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा
- इनमें स्थानीय भाषा में सीखने में सहयोग करने वाले शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकेंगे
- Futuristic Benchmark Model के रूप में आदर्श स्कूल की तरह विकसित होगा

पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया :

- विकासखंडों से स्कूलों को स्वयं आनलाइन चुनौती पोर्टल में आवेदन भरवाना होगा
- प्रथम दो वर्षों में चार क्वार्टर में ही आनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुलेगा
- इस योजना में वर्तमान में संचालित मोडल स्कूलों को शामिल नहीं किया जा सकेगा
- एक विकासखंड से अधिकतम एक एलिमेंटरी एवं एक सेकन्डरी स्कूल लिए जा सकेंगे
- शिक्षा मंत्रालय से एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से इनका चयन किया जाएगा
- इस योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाएगा–
    - राज्यों को केंद्र के साथ एक एमओयू करना होगा
    - बेंचमार्क के आधार पर इस योजना के अंतर्गत शालाओं को अपना आनलाइन आवेदन देना होगा
    - जो स्कूल इस योजना में चयनित होने हेतु अपना दावा/ चुनौती प्रेषित करेंगे, उनका क्षेत्र परीक्षण कर सर्टिफाई करने पर ही अंतिम चयन हो सकेगा

पीएम श्री स्कूल प्रारंभ करने राज्यों से अपेक्षाएं :

- राज्यों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्र के साथ एक एम.ओ.यू. करना होगा। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना होगा-
    - राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटकों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करना होगा
    - चयनित शालाओं को अपने नाम के साथ पीएमश्री लगाना अनिवार्य होगा
    - कार्यक्रम के क्रियान्वयन की संपूर्ण जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग की होगी
    - इस कार्यक्रम हेतु फंडिंग प्रचलित योजना अनुसार ही होगी और राज्यों को इस योजना में आवश्यक बजट का प्रावधान करना होगा
    - राज्यों को इन शालाओं में बाधा-रहित सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जाना होगा
    - राज्यों को इन शालाओं को ग्रीन शालाओं के रूप में विकसित करने की दिशा में काम करना होगा
    - राज्यों को इन शालाओं में नवाचारी शिक्षण प्रविधियों जैसे अनुभव-आधारित शिक्षण, कला-आधारित शिक्षण, खेल-आधारित, खिलौना-आधारित शिक्षण प्रविधियों को लागू करवाना अनिवार्य होगा (Experiential learning/ Art based education/spots-based/Toy-based pedagogy)
    - राज्यों को शालाओं का आकलन उनके लर्निंग आउटकम के आधार पर करना होगा और इन शालाओं में समग्र आकलन (Holistic Report Card) को भी लागू करना होगा
    - केंद्र एवं राज्य के माध्यम से विद्या समीक्षा केन्द्रों का उपयोग करते हुए इन स्कूलों के लर्निंग आउटकम का आई टी आधारित मानिटरिंग किया जाना होगा
    - कार्यक्रम के दो वर्षों के भीतर इन शालाओं को शून्य ड्राप-आउट करना होगा
    - एलिमेंटरी स्तर पर RTE act अनुसार PTR norms का पालन करना होगा
    - सेकंडरी स्तर पर PTR एवं विषय आधारित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी
    - राज्यों को इन शालाओं में संसाधन सुविधा विकसित करने हेतु अन्य विभिन्न स्रोतों जैसे- 15वें वित्त कमीशन, MNREGA एवं DMF का उपयोग करना होगा
    - राज्यों को इस कार्यक्रम का लिंकेज निम्नलिखित योजनाओं से भी करना होगा -
        - समग्र शिक्षा योजना
        - पीएम पोषण योजना
        - ईसीसीई लिंकेज
        - जल जीवन मिशन
        - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
        - स्कूल हेल्थ कार्यक्रम (SHP)
        - विशिष्ट बच्चों के लिए योजनाएं (ADIP Scheme)
        - ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्रालय
        - अर्बन लोकल बोडीज
        - टेलीकोम मंत्रालय
        - खेल एवं युवा मंत्रालय
        - स्किल डेव्हालपमेंट
        - शाला एवं समुदाय के बीच साझेदारी

- एलुमनी अर्थात पुराने विद्यार्थियों से सहयोग
- शिक्षकों की मेंटरिंग विभिन्न NGO/CSO/ Corporate से समर्थन
- पालकों को होम मेंटर के रूप में सहयोग

- राज्यों को इस कार्यक्रम को पांच वर्ष पश्चात निर्धारित नार्म्स का पालन करते हुए अपने बजट से इसे आगे निरंतर जारी रखने की जिम्मेदारी लेनी होगी
- राज्य के साथ किया गया MOU दिनांक 31.03.2027 तक लागू रहेगा

पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत चयन हेतु स्कूलों के लिए बेंचमार्क:

- राज्यों को इस योजना का लाभ उठाने हेतु UDISE के माध्यम से निम्नलिखित बेंचमार्क का पालन करने वाले स्कूलों का चयन करने की सुविधा होगी-
  - स्कूल की अपनी अच्छी हालत में पक्का भवन होना चाहिए
  - सुरक्षा नोर्म्स के अनुरूप बाधा-रहित वातावरण होना चाहिए
  - स्कूल में अग्नि-शमन एवं अन्य सुरक्षागत व्यवस्थाएं होनी चाहिए
  - बच्चों की दर्ज संख्या राज्य की औसत दर्ज संख्या से अधिक होनी चाहिए
  - स्कूल में एक बालक एक बालिका शौचालय अनिवार्यतः होना चाहिए
  - स्कूल में स्वच्छ पेयजल के लिए व्यवस्था सुलभ होना चाहिए
  - बच्चों के लिए हाथ धोने की व्यवस्था होना चाहिए
  - स्कूल में पुस्तकालय एवं खेल सामग्री होनी चाहिए
  - स्कूल में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए

पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत चयन हेतु चुनौती का तरीका एवं स्कोरिंग:

- राज्यों द्वारा निर्धारित क्रायटेरिया पूर्ण करने वाले स्कूलों को आनलाइन आवेदन के लिए तैयार करना होगा। शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को कम से कम 70% अंक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रहे स्कूलों को कम से कम 60% अंक पाना आवश्यक होगा।
- शालाओं द्वारा चुनोती के रूप में भरे गए आवेदनों का परीक्षण राज्यों को क्षेत्र में निरीक्षण कर पूरा करना होगा।
- विभिन्न प्रकार के स्कूलों के लिए अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे-

S.No.	***Category of School***	***Maximum Score on which it is to be evaluated***
1	ElementaryClasses (1-5)	144
2	ElementaryClasses (1-8)	*165*
3	Senior Secondary Classes (6-10/6 -12/1-10/1-12)	*168*

चुनौती के लिए पैरामीटर एवं स्कोरिंग

Section-A: Infrastructure / Physical Facilities & School Safety				
Sl	***Parameters***	***Elem. School (Class 1-5)***	***Elem. School (Class 1-8)***	***Sr. Sec. (Class 6-10/ 6-12/ 1-10/ 1-12)***
1	स्कूल के पास परिसर की ही आंगनबाडी/ पूर्व प्राथमिक शाला संचालित है / पार्टनरशिप या ट्विनिंग ऑफ़ आंगनबाडी है	3	3	3
2	पर्याप्त संख्या में कक्षाकक्ष उपलब्ध है	2	2	2
3	खेल का मैदान है	2	2	2
4	शाला मैदान में कम से कम दो अंतरशालेय प्रतियोगिताओं का आयोजन गत एक वर्ष में किया गया है	2	2	2
5	स्थानीय खेलों के प्रदर्शनि के लिए स्कूल अवधि के बाद मैदान का उपयोग समुदाय द्वारा विभिन्न खेलों के आयोजन एवं प्रतियोगिताओं के लिए किया गया है। विगत छह माह में कम से कम पांच ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन मैदान में हुआ है	3	3	3
6	कम से कम शाला के दो विद्यार्थियों ने अन्तरशालेय, अंतरजिला एवं अंतर राज्यीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता ली है	1	1	1
7	स्कूल में एलीमेंटरी स्तर पर 100 से अधिक पुस्तकें एवं सेकन्डरी स्तर पर 200 से अधिक पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं	2	2	2
8	अस्सी प्रतिशत विद्यार्थी कम से कम दो पुस्तकें विगत सत्र में पुस्तकालय से इशू करवाए हैं	1	1	1
9	स्कूल में कम से कम एक smart-classroom / Digital Board/projector/desktop की सुविधा सीखने-सिखाने हेतु उपलब्ध है	1	1	1
10	स्कूल विभिन्न प्रशासकीय कार्यों के लिए Computer/Tablets/ Mobile Apps/ online facilities का उपयोग करता है	1	1	1

11	स्कूल में इनमें से कम से कम एक सुविधा अवश्य उपलब्ध है - Science / Mathematics / Skill / ICT/ Atal Tinkering Lab/ Art room/ WIFI facility /Internet etc.		4	4
12	वर्ष में एक बार स्कूल अपने परिसर में सुरक्षा ओडिट अवश्य करवाता है (Child safety & Infrastructure safety)	2	2	2
13	शाला के पास अपना आपदा प्रबन्धन योजना है जिसमें अग्नि/ पेंडेमिक एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा योजना है	2	2	2
14	दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से सक्रिय शौचालय उपलब्ध है	2	2	2
15	वर्ष में एक बार प्रत्येक बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण के रिकार्ड स्कूल में उपलब्ध हैं	2	2	2
16	शाला सुरक्षा संबंधी शपथ का प्रदर्शन किया गया है	1	1	1
Section Total		27	31	31
Section-B: Teaching Staff and Capacity Building				
1	शाला में PTR from 25-30 in Elementary (1-5), from 30-35 in Elementary (1-8) and 35-40 in Senior Secondary Schools होना चाहिए.	8	8	8
2	स्कूल में नियमित प्रधानपाठक/ प्राचार्य होना चाहिए.	4	4	4
3	कम से कम 50% शिक्षकों ने no-cost/low cost basic teaching aids या सहायक सामग्री बनाकर सीखने-सिखाने हेतु उपयोग किया है.	6	6	6
4	स्कूल में आधुनिक शिक्षण पद्धतियों- गतिविधि-आधारित शिक्षण, सहायक सामग्री, प्रोजेक्त-आधारित सीखना, ICT का उपयोग सीखने-सिखाने में करना	4	4	4
5	शाला समय से अतिरिक्त समय में शिक्षकों द्वारा स्वेच्छा से क्षेत्र भ्रमण, खेलकूद, कला, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, वेबीनर, अतिथि व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाता है	4	4	4
6	स्कूल में काउंसलर, पुस्तकालय प्रभारी, संगीत शिक्षक उपलब्ध	2	2	2
7	स्कूल में विशेष बच्चों को सीखने में सहयोग देने हेतु शिक्षक है	2	2	2

8	स्कूल के पास खेल शिक्षक है	2	2	2
9	स्कूल के पास ICT शिक्षक है	2	2	2
10	सामुदायिक सहभागिता के पांच ऐसे उदाहरण की सूची जो विगत छह माह में शाला में आयोजित किए गए हों	2	2	2
Section Total		36	36	36
Section-C: PM Poshan (Only for Elementary Classes)				
1	रसोई में पर्याप्त बर्तनों की उपलब्धता	3	3	3
2	पक्का मध्याह्न भोजन किचन शेड की उपलब्धता जहां मध्याह्न भोजन बनाया जाता है	3	3	3
3	ओटोमेटेड मानिटरिंग सिस्टम में प्रतिदिन की डाटा प्रविष्ट कर भेजे जाने की व्यवस्था है	2	2	2
4	न्यूट्रीशनल किचन गार्डन की व्यवस्था है	2	2	2
5	एक साथ कम से कम पांच बच्चों के हाथ धोने की व्यवस्था	3	3	3
6	स्कूल के पास बच्चों को भोजन करवाए जाने हेतु अलग से स्थान की व्यवस्था है	1	1	1
7	पीएम पोषण साप्ताहिक मीनू की उपलब्धता एवं प्रदर्शन किया जाता है	2	2	2
Section Total		16	16	16

Section-D: Learning Outcomes, Learning Enhancement Program, Pedagogy				
1	स्कूल ने कक्षाओं में लर्निंग आउटकम का प्रदर्शन किया है	4	4	4

2	लर्निंग आउटकम के आधार पर विगत छह माह में प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक शाला आधारित आकलन का कार्य संपादित किया गया है	4	4	4
3	प्रत्येक दो माह में कम से कम एक पालक शिक्षक बैठक का आयोजन जिसमें लर्निंग आउटकम के आधार पर बच्चों की स्थिति की जानकारी दी जाती है	4	4	4
4	स्कूल द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर पालकों एवं समुदाय के समक्ष बच्चों के टेलेंट के प्रदर्शन का अवसर दिया जाता है	2	2	2
5	स्कूल द्वारा प्रति वर्ष annual exhibition/Art meets/ Science exhibition / Exhibition of children works etc. आदि का आयोजन किया जाता है	2	2	2
6	स्कूल/ कोई शिक्षक/ कोई विद्यार्थी द्वारा National Level in Teacher Award/ Khelo India sports award/ Band Competition / Kala Utsav / Swachchata Vidyalaya Puraskar / Olympiads/ Hackathons/ any other National level competitions held by MoE and its autonomous bodies जीता हो	4	4	4
7	एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) के अंतर्गत विगत एक वर्ष में कम से कम 70% बच्चों ने किन्ही दो गतिविधि में सहभागिता ली हो	3	3	3
8	The School Management Committee (SMC/SMDC) शाला प्रबंधन समिति का गठन	2	2	2
9	SMC/SMDC की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है	2	2	2
10	शुरुआती कक्षाओं में बच्चों की स्थानीय भाषा का उपयोग किया जाता है	3	3	3
Section Total		30	30	30

Section-E: Vocational Education under National Skill Qualifications Framework (NSQF) (Only for Senior Secondary Level)				
1	स्कूल में कम से कम NSQF compliant Vocational Course का संचालन किया जा रहा है			3
2	उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों को एक सत्र में कम से कम 12 घंटे का वोकेशनल अनुभव- जैसे–kitchen gardening, local handicraft making, ten days bagless internship or exposure with local trades person/crafts person or any other occupation of parents/family members का आयोजन किया जाता है		7	7
3	स्कूल में advanced technical skill i.e Artificial Intelligence, Data Science, Machine Learning etc आदि के उपयोग की सुविधा है		5	5
4	निकट के इंडस्ट्री से कनेक्ट होकर एवं उनके भ्रमण की सुविधा है		5	5
Section Total		0	17	20

Section – G: Commitment of Stakeholders				
1	स्कूल द्वारा अपने Panchayat / Urban local body (ULB) से स्कूल में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा सुलभ एवं अपग्रेड करवाने लिखित में सहमति ली गयी है	3	3	3
2	The Gram Panchayat/Urban local body (ULB) द्वारा विगत दो तीन वर्षों में स्कूल के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में सहायता की है	3	3	3
3	शाला प्रबन्धन समिति में Gram Panchayat/ Urban local body (ULB) का प्रतिनिधित्व है	3	3	3

4	कक्षाओं एवं पीएम पोषण में पालकों के सक्रियता के नवाचारी तरीके स्कूल में दिखाई देते हैं	2	2	2
5	बच्चों की स्थानीय भाषा में सीखने में सहयोग देने हेतु स्कूल में स्थानीय वोलंटियर/ समुदाय का सहयोग ले रहे हैं	2	2	2
6	स्कूल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं के आधार पर रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है	2	2	2
7	स्कूल अपने आसपास के स्कूलों के साथ मिलकर शिक्षकों के क्षमता विकास, संसाधनों के आदान-प्रदान एवं संयुक्त कार्यक्रम आयोजन हेतु मिलकर कार्य करते हैं	2	2	2
Section Total		17	17	17
Maximum Scores		144	165	168